न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 37/2024

रिलायन्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 11 वीं फ्लोर, नोर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगाव (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र—400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी तरूण मौर्य

...प्रार्थी

बनाम

1. कादू राम मीणा (कालू राम मीणा) पुत्र श्री रामसहाय मीणा (ऋणी)
पता— मकान नंबर—18, उपर का बास, नोरंगवाडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—321608
2. धारा सिंह मीणा पुत्र श्री कादूराम मीणा (सहऋणी)
पता— मकान नंबर—18, उपर का बास, नोरंगवाडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—321608
3. खेलबाई मीणा पत्नि श्री कादू राम मीणा (कालूराम मीणा) (गारन्टर)
पता— मकान नंबर—18, उपर का बास,, नारंगवाडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—321608
4. नवल किशोर मीणा पुत्र श्री कादूराम मीणा (गारन्टर)
पता— मकान नंबर—18, उपर का बास,, नारंगवाडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—321608
5. वर्षा देवी मीणा पत्नि श्री नवल किशोर मीणा (गारन्टर)
पता— मकान नंबर—18, उपर का बास,, नारंगवाडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—321608
6. शैलेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री राम खिलाडी मीणा (गारन्टर)
पता— खेदान खेडा, महुआ, जिला दौसा राजस्थान—303313

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित : श्री संजय त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 06.05.2024

Web Copy - Not Official

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इंडिया फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ने अप्रार्थीगण कादू राम मीणा व अन्य को दिनांक 31.05.2021 को 8,00,000/— रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.—5 में वर्णित संपति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक मे बंधक रखा था, किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.01.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत [illegible] तथा दिनांक 05.05.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ [illegible]/-रूपये निकलते है, जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 13(2) के तहत दिनांक 01.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि [illegible] में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या—5 मे दिया गया है, का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या—5 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:05 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 04.01.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–5 में दिया गया का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstrucation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–5 में वर्णित संपति कालू राम मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा की अचल सम्पत्ति पट्टा नंबर 44, ग्राम नोरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 141 वर्गगज है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06 मई, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:05 IST
Reason: SelfAttested